ANTAR

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ,जिला–झुझुंनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह आर.ए.एस.

जीएसएम नं. 2024/396
राजस्व प्रा. पत्र संख्या 12/2024

(ताराचन्द बनाम प्रहलाद वगै0)
प्रा.पत्र अपील – अपील विरूद्व नामान्तकरण

प्रार्थना पत्र – धारा 5 मियाद अधि.

वकील अपीलान्ट/प्रार्थी–श्री शिवहरी प्रसाद
वकील रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी–श्री किशोर कुमार जांगिड

आदेश

दिनांक 14.02.2025

अपीलान्ट द्वारा एक प्रा. पत्र अपील अ.धा. 75 एल.आर.एक्ट 1956 खिलाफ निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत ढिगाल तहसील नवलगढ विरूद्व नामान्तकरण सं. 505 आदेश दिनांक 05.10.2003 का दिनांक 09.09.2024 को इस न्यायालय में पेश किया गया। अपील प्रा. पत्र के साथ एक प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का इस कदर पेश किया गया कि,नामान्तकरण सं. 505 दिनांक 05.102003 जो वसीयत दिनांक 14.04.1993 में वसीयत सम्पति की भौगोलिक क्षेत्राधिकार का अंकन नही होने से वसीयत कपटपूर्वक व अविधिमान्य है जिस पर दर्ज मियाद का बिन्दू लागू नही होता तथाअपीलान्ट्स अपने खेत पर बिना किसी रोक टोक कब्जा काश्त होने से राजस्व रिकार्ड की और गौर नही किया तथा दिनांक 22.04.2024 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने श्रीमान् जिला एंव सैशन न्यायालय झुझुंनू में मु. नं. 85/2023 में एक प्रा. पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 का पेश किया जिसमें अंकन किया कि नामान्तकरण सं. 505 दिनांक 05.10.2023 उक्त नामान्तकरण दर्ज किया गया तब अपीलान्ट को नामान्तकरण दर्ज होने बाबत् जानकारी हुई । अपीलान्टस ने दिनांक 05.10.2023 को राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तो उक्त तिथि को कोई नामान्तकरण दर्ज नही पाया गया दुबारा पुर्ण रिकार्ड की जॉच की तब दिनांक 05.07.2024 को ज्ञात हुआ की पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तकरण तहसील में जमा नही करवाया अपने पास ही रख लिया। दिनांक 06.09.2024 को उक्त नामान्तकरण सं. 505 की नकल पटवारी हलक से प्राप्त की तब अपीलान्ट्स को अपनी प्रश्नगत भूमि का रिकार्ड चेन्ज मिला। नकल मिलते ही बिना देरी के यह अपील पेश की जा रही है अपीलान्टस की अपील मैरिट में है। नामान्तकरण सं. बिना भौगोलिक क्षेत्राधिकार दर्ज किये किया गया है। जो अवैध,शुन्य, बिना क्षेत्राधिकार, कपटपूर्वक होने से विलम्ब घातक नही है। अपीलान्ट्स द्वारा जानबुझकर अपील प्रस्तुत करने मे देरी नही की है। इसलिये आवेदक की अपील अन्दर मियाद समायत की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधि. का जवाब वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न प्रकार से पेश किया गया:–

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. का प्रकिया विरूद्व पेश किया गया है। धारा 5 के लिये अलग से नोटिस जारी होकर प्रा. पत्र की प्रति भेजी जानी चाहिए एंव मियाद का बिन्दू तय होने पर ही अपील अपीलान्ट दर्ज होनी चाहिए। किसी भी अपील को पेश करने के लिये मियाद तैय है जो निकलने पर युक्तियुक्त कारण हो तब ही देरी को माफ किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रा. पत्र 21 वर्ष की अवधी निकलने के पश्चात् अपील पेश हुई है । इसलिये अत्यधिक समय को माफ किये जाने का कोई स्पष्टीकरण पेश नही किया है। अपीलान्ट का यह कहना की पूर्व मे जानकारी नही थी कतई गलत है। अपीलान्ट्स स्वंय द्वारा इसी भूमि बाबत् विरासत का नामांतकरण दिनांक 01.11.2011 को स्वीकृत करवाया है। प्रस्तुत अपील चुनौति ग्रस्त नामान्तकरण दिनांक 05. 102003 को स्वीकृत हुआ है, इसके पश्चात् रिकार्ड बना। चुनौति ग्रस्त नामान्तकरण के रिकार्ड को सही मानकर ही 01.11.2011 को अपीलान्ट्स ने नामांतकरण स्वीकृत करवाया है। चुनौतिग्रस्त नामांतकरण सं. 505 दिनांक 05.10.2003 को स्वीकृत होने के पश्चात् बने रिकार्ड को लगातार अपीलान्ट्स स्वीकृत मानते रहे तथा इसके 10 वर्ष पश्चात् इसी सही रिकार्ड को सही मानकर अपीलान्ट्स के नाम 1/6 हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने हेतु दावा मु.नं. 217/2013 प्रस्तुत किया तथा अपने हिस्से को अलग करवाना चाहता है। उक्त दावा में रिकॉर्ड मय शपथ पत्र सही माना है। उक्त दावा दिनांक 2.03.2015 को प्राथमिक रूप से डिक्री हुआ तथा दिनांक 12.12.2015 को अंतिम डिक्री जारी हुई। उक्त अन्तिम डिक्री की अपील भी स्वंय वादीगण अपीलान्ट्स ने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में की इसके पश्चात् प्रार्थी के पिता रामेश्वर ने अपील का रा.अ.अधिकारीके यहॉ 12.03.2023 को पेश कर रखी है। उक्त के पश्चात् वसीयत को निरस्त करवाने हेतु एक दावा माननीय जिला न्यायालय झुझुंनू के यहॉ पेश किया है जो 09.11.2023 को पेश किया गया है। उक्त सब होने के बावजूद भी यह अपील दावा जिला न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद भी अत्यधिक डिले से पेश की है। जिसका कोइ स्ष्टीकरण धारा 5 मियाद अधि. के प्रा. पत्र में पेश नही किया है। प्रा. पत्र में मात्र नामान्तकरण की नकल लेने से जानकारी होना दर्ज किया जबकि दिनांक 05.10.2023 से ही अपीलान्ट/प्रार्थीगण को जानकारी थी तथा दावा मु. नं. 217/2013 में रिकार्ड को देखकर दावा पेश करना जाहिर है जो कि रिकॉडेड रूप से नामांतकरण की जानकारी होना साबित है जिसके भी 11 वर्ष बाद यह अपील पेश हुई है इसलिये पेश करने मे हुई देरी को कतई माफ किये जाने योग्य नही है। धारा 5 मियाद अधिनियम का उक्त प्रा. पत्र मय खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रा.पत्र वकील उभय पक्ष द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई।

वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नं. 460/1987 एलएलपी(सिविल) 12980/1986 दिनांक 19.02.87 उनवानी Collector,Land Acquisition, Anantnag And Another Versus Mst. Katiji And Others तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

राजस्थान अजमेर के रिविजन नं. 5 व 6 /1989 निर्णय दिनांक 21.01.1991 उनवानी जगदीश व अन्य बनाम फुलचन्द वगै0 , माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 1688/1983 निर्णय दिनांक 18.02.2000 उनवानी चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगै0 में पारित निर्णय/आदेश को बतौर नजीर पेश किया तथा प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने जमाबन्दी संवत् 2057–60,दावा मु.नं. 217/2013, उनवानी ताराचन्द बनाम दयानन्द जो अपीलान्ट स्वंय द्वारा पेश किया गया की प्रति, निर्णय मु.नं. 217/2013 दिनांक 20.03.2015, निर्णय अन्तिम 12.12.2015, विभाजन प्रस्ताव 02.12. 2015, अपील आर.ए.ए. 29.07.2021 उनवानी ताराचन्द बनाम दयानन्द, दावा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश झुझुंनू उनवानी ताराचन्द बनाम प्रहलाद तथा बतौर नजीर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर आर.आर.टी 1967 अपील 2615/टोंक/2016 निर्णय दिनांक 28.10.2021 उनवानी बदरीलाल बनाम राजस्थान राज्य, आर.आर.टी. 359 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिविजन एल आर नं. 7699/दौसा/2006 निर्णय दिनांक 08.12.2021 उनवानी रामेश्वर बनाम रामस्वरूप, आर. आर.टी. 2021/391 (1)माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिविजन एल आर 3690/जैसलमेर/2010 निर्णय दिनांक 07.01.2021 उनवानी पूनाराम बनाम शिवराम वगै0, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एसएसपी सिविल 27879/2018 निर्णय दिनांक 23.09.2021 उनवानी Bihari (D) thr. L.Rs ors vs state of U.P, आर.आर.टी 1111(2) 2023 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कि रिविजन 3702 व 3703/ अलवर/2016 निर्णय दिनांक 12.04.2023 उनवानी भौरिया बनाम भलया देवी, बतौर नजीर व न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये तथा प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी होने तथा किसी भी अपील में पहले मियाद प्रा. पत्र न्यायगत होना आवश्यक बताते हुये प्रा. पत्र व दर्ज अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान फरीकेन द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण में अपील प्रा. पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है जिसका विचारण पहले किया जाना न्यायसंगत है। धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रा. पत्र न्यायगत होने पर ही आगे प्रा.पत्र 96 सीपीसी तथा मूल अपील प्रा.पत्र पर विचारण किया जाना उचित होगा।

विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा काफी समय पश्चात् अपील प्रस्तुत की है। न्यायालय द्वारा देरी को माफ किया जा सके इसके लिये पर्याप्त व ठोस उजर पेश करने मे असमर्थ रहे है जबकि वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दलिलों व दस्तावेजों से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी/अपीलान्ट को नामान्तकरण के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी थी, जो इनके द्वारा अन्य न्यायालयों मे किये गये प्रयासों से भी जाहिर है, इसके बावजूद इन्होने अपील पेश करने में देरी की है। विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस मामले मे चस्पा नही पाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों की रोशनी में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. का पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है। इसके साथ ही मूल अपील व इसके साथ प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 96 सीपीसी भी पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। इन प्रा. पत्रों के साथ मूल पत्रावली अपील फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश/निर्णय आज दिनांक 14/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ